

30

न्यायालय म0प्र0 राजस्व मण्डल ग्वालियरे म0प्र0

प्र0क्र0

/ 14 पुनरीक्षण R 2205-J/14

सेवकराम पुत्र श्री भीकम सिंह जाति लोधी
आयु 65 वर्ष, निवासी ग्राम हांसुआ तहसील
व जिला विदिशा, म0प्र0

..... आवेदक

बनाम

1. संतोष पुत्र श्री रामगोपाल जाति शर्मा, आयु 44 वर्ष, निवासी ग्राम हांसुआ तहसील व जिला विदिशा, म0प्र0
2. म0प्र0 शासन द्वारा जिला कलेक्टर महोदय, विदिशा, म0प्र0

..... अनावेदकगण

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू0 राजस्व संहिता
विरुद्ध आदेश दिनांक 05.06.2014 सीमांकन न्यायालय तहसीलदार महोदय
विदिशा द्वारा प्रकरण क्रमांक 32/अ12/13-14 में पारित।

माननीय महोदय,

आवेदक का पुनरीक्षण आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

संक्षिप्त तथ्य :-

1. यहकि, आवेदक ग्राम हांसुआ जिला विदिशा स्थित भूमि क्रमांक 7/1 रकवा 1.314 हैक्0 का भूमि स्वामी है। आवेदक की भूमि क्रमांक 7/2 रकवा 0.063 हैक्0 अहमदपुर रोड में उत्तर तरफ शामिल है। जिससे अनावेदक क्रमांक 1 की भूमि लगी है। आवेदक की भूमि क्रमांक 7/1 में मकान, कुंआ, आम के पेड़ स्थित हैं।
2. यहकि, अनावेदक क्रमांक 1 तथा 4 अन्य अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार महोदय विदिशा ने समक्ष स्वयं की भूमि क्रमांक 7/5/2 का सीमांकन करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया।
3. यहकि, तहसीलदार महोदय विदिशा द्वारा सीमांकन के लिये, प्रतिवेदन, पंचनामा सहित प्रस्तुत करने हेतु राजस्व निरीक्षक को निर्देशित किया गया।

क्रमश2

*M.K. Jain
Advocate*

श्री 2205-क0 ज0 न0 को
द्वारा आज दि 22-7-14 को
प्रस्तुत
रजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

शांति कानारी (रा. जं.)
का. नं. 11/1/14

M.K. Jain

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ.....

प्रकरण क्रमांक 2205-एक/2014 निगरानी

जिला विदिशा

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं
अभिभाषकों
के हस्ताक्षर


8.10.16

यह निगरानी तहसीलदार विदिशा द्वारा प्रकरण क्रमांक 32 अ-12/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 5-6-2014 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारोश यह है कि अनावेदक क-1 संतोष पुत्र रामगोपाल शर्मा निवासी ग्राम हांसुआ ने तहसीलदार विदिशा को उसके स्वामित्व की ग्राम हांसुआ स्थित भूमि सर्वे नंबर 7/5/2 एवं 6/4 के सीमांकन की प्रार्थना की। तहसीलदार ने प्रकरण क्रमांक 32 अ-12/13-14 पंजीबद्ध कर सीमांकन के निर्देश जारी किये। पटवारी हलका नंबर 86 से दिनांक 30-5-14 को मौके पर जाकर सीमांकन किया तथा सीमांकन प्रतिवेदन तहसीलदार विदिशा को प्रस्तुत किया। पटवारी द्वारा प्रस्तुत सीमांकन प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार विदिशा ने आदेश दिनांक 5-6-14 पारित किया तथा पटवारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन को यह लिखकर अंतिमता प्रदान की कि प्राप्त आवेदन पत्र पर सीमांकन प्रतिवेदन पंचनामा प्रस्तुत करने हेतु राजस्व निरीक्षक को भेजा गया। राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन कर प्रतिवेदन मय पंचनामा प्रस्तुत किया है। इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत हुई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक श्री एम0के0जैन एवं अनावेदक के अभिभाषक श्री वाई0एस0भदौरिया को सुना गया। आवेदक की ओर से प्रस्तुत लेखी बहस एवं अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 32 अ-12/13-14 का अवलोकन किया गया।

4/ तहसीलदार के प्रकरण क्रमांक 32 अ-12/13-14 में राजस्व निरीक्षक का सीमांकन प्रतिवेदन अथवा पंचनामा संलग्न नहीं है अपितु पटवारी हलका नंबर

प्रकरण क्रमांक 2205-एक/2014 निगरानी

86 श्री अतुल श्रीवास्तव द्वारा दिनांक 30-5-14 को स्थल पर किये गये सीमांकन का प्रतिवेदन संलग्न है जिसे तहसीलदार द्वारा राजस्व निरीक्षक का प्रतिवेदन मानने में भूल की गई है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 के अंतर्गत विरचित नियमों के अधीन सीमांकन कार्यवाही हेतु तहसीलदार को शक्तियाँ प्रदान की गई है तथा असाधारण राजपत्र दिनांक 23-12-10 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ-2-23-2010 दिनांक 23 दिसम्बर 2010 के अनुसार इस धारा के अधीन तहसीलदार की शक्तियाँ समस्त राजस्व निरीक्षकों को उनकी अपनी अपनी अधिकारिता के भीतर प्रदान की गई है किन्तु संहिता की धारा 129 के अधीन इस धारा के अधीन पटवारी कोई कार्यवाही नहीं कर सकता (नाथूराम विरुद्ध नरोत्तम कुमार 1971 रा0नि0 252 से अनुसरित) जबकि विचाराधीन प्रकरण में सीमांकन कार्यवाही पटवारी द्वारा की गई है जिसके कारण तहसीलदार विदिशा द्वारा प्रकरण क्रमांक 32 अ-12/ 2013-14 में पारित आदेश दिनांक 5-6-2014 त्रुटिपूर्ण होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ यदि तहसीलदार विदिशा द्वारा प्रकरण क्रमांक 32 अ-12/ 2013-14 में पारित आदेश दिनांक 5-6-2014 नियम एवं प्रक्रिया के विरुद्ध पाये जाने से निरस्त किया जाता है तब सीमांकन कराने वाला कृषक सीमांकन के लाभ से बंचित होगा, जिसके कारण तहसीलदार विदिशा द्वारा प्रकरण क्रमांक 32 अ-12/ 2013-14 में पारित आदेश दिनांक 5-6-2014 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि अनावेदक क-1 की भूमि का राजस्व निरीक्षक से अथवा अधीक्षक/उप अधीक्षक भू अभिलेख से पुनः सीमांकन करावें तदुपरांत प्रकरण में पुनः विधिवत् आदेश पारित करें।

5/14


सदस्य